

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-1587) 32726/2026/191 दिनांक : 9/6/26

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत निम्नांकित कार्मिकों को निदेशालय के आदेश अराज/भर्ती प्रकोष्ठ/लैब सहायक/सीधी भर्ती/2018/एफ-32/2022/898 दिनांक 05.08.2022 एवं 379 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद बताये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाईकरण करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में प्रयोगशाला सहायक पद की पे मैट्रिक्स एल-5 में न्यूनतम वेतन रुपये 20800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे:

क्र.स.	कर्मचारी का ना म(श्री/सुश्री/श्रीम ती) पद नाम- प्रयोगशाला सहायक	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	महेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाडोल, पाली	11.07.1967	14.09.2023	13.09.2025	14.09.2025
2	भरत कुमार, प्रयोगशाला सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाडोल, पाली	21.08.1987	13.09.2023	12.09.2025	13.09.2025

- नोट:- 1. उक्त कर्मचारियों को ब्रिज कोर्स परीक्षा/परीक्षण उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ देय होगा एवं ब्रिज कोर्स परीक्षा/परीक्षण उत्तीर्ण करने से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि का नोशनल लाभ देय होगा। उक्त कर्मिकों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।
2. उक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन होती हैं तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर
दिनांक : 9/6/26

क्रमांक :- ई-33/प्रयो.सहा./ (एफ-1587)32726/2026/191
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
- 2 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 3 संबंधित कर्मचारी को उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- 4 आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :08-06-2026 07:04:46

RajKaj Ref No.:
22669386